रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2000/चैत्र 7, 1922
No. 190] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2000/CHAITRA 7, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2000

का.आ. 275(अ).—भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्रतिभूति के रूप में आई.सी.आई.सी.आई. लि., मुम्बई द्वारा जारी किए जाने के लिए केवल आठ सौ करोड़ रुपये से अनधिक के कुल मूल्य के अप्रतिभूत मोचनीय बांड (आई.सी.आई.सी.आई.—सुरक्षा बांड मार्च 2000) डिबेंचरों की प्रकृति में प्राधिकृत करती है जिन्हें निम्न प्रकार वर्णित किया गया है :—

1. गिल्ट रेट प्लस बांड
2. एन्कैश बांड
3. टैक्स सेविंग बांड
4. रेग्युलर इन्कम बांड
5. मनी मल्टीप्लायर बांड

[फा. सं. 6/4/सी.एम./2000]

डा. जे. भगवती, संयुक्त सचिव (पूंजी बाजार)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Market Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2000

S.O. 275 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), the Central Government hereby authorises the Unsecured Redeemable Bonds (ICICI-Safety Bonds—March 2000) in the nature of debentures described as—

1. Gilt Rate Plus Bond;
2. Encash Bond;
3. Tax Saving Bond;
4. Regular Income Bond;
5. Money Multiplier Bond,

of the total aggregate value not exceeding rupees eight hundred crores only to be issued by the ICICI Limited, Mumbai, as a security for the purpose of the said section.

[F. No. 6/4/CM/2000]

DR. J. BHAGWATI, Jt. Secy (CM)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054